जिला सैनिक कल्याण ऊना के पुनर्निवास और पुनः निर्माण (आर0एंड0आर) निधि लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.2011 से 31.3.2015

भाग–एक

1. गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्नानुसार है।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2009

1	पैरा 5	निर्णीत (भुगतान प्राप्त कर्त्ता छात्रों की रसीदों की सत्यापना के उपरान्त)
2	पैरा 6	निर्णीत (भुगतान प्राप्त कर्त्ता छात्रों की रसीदों की सत्यापना के उपरान्त)

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2009 से 3/2011

1	पैरा 5	अनिर्णीत

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

(क) जिला सैनिक कल्याण ऊना की पुनर्निवास और पुनः निर्माण (आर0 एण्ड आर0) निधि के अवधि 4/2011 से 3/2015 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री राज कुमार अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 26.8.2015 से 29.8.2015 के दौरान ऊना में किया गया। अंकेक्षण की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

आय **7/2011, 9/2013 व 6/2014**

व्यय **11/2011, 4/2012, 9/2013 व 10/2014**

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारी संस्था में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे।

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	कैप्टन जे0एन0 महाजन	1.4.2011 से 28.2.2012
2	श्री आर0पी0 शांडिल्य (एच0पी0ए0एस)	1.3.2012 से 1.7.2012
3	श्री जीया लाल कानन (एच0पी0ए0एस)	2.7.2012 से 7.7.2012

4	श्री मदन कुमार (एच0पी0ए0एस)	11.7.2012 से 5.9.2012
5	श्री बलवान चन्द (एच0पी0ए0एस)	6.9.2012 से 26.3.2013
6	श्री धनवीर ठाकुर (एच0पी0ए0एस)	27.3.2013 से 24.4.2013
7	मेजर रघुवीर सिंह	25.4.2013 से अद्यतन

(ग) यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था के नियन्त्रण अधिकारी (Controlling Officer) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा प्रदत्त किसी भी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का उत्तरदायित्व नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

जिला सैनिक कल्याण ऊना की पुनर्निवास और पुनः निर्माण (आर0 एण्ड आर0) निधि के अवधि 4/2011 से 3/2015 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क, सैनिक विश्राम गृह निधि और झण्डा दिवस निधि के लेखाओं सहित ₹23,400 आंका गया है, जिसे उप निदेशक, द्वारा के0सी0सी0बी0 ऊना के बैंक ड्राफ्ट संख्या 0116348, दिनांक 14.9.2015 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला–9 को पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

जिला सैनिक कल्याण ऊना द्वारा प्रस्तुत पुर्ननिवास एवं पुनः निर्माण निधि की अवधि 1.4.2011 से 31.3.2015 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है :–

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2011–12	292261	250000	15135	557396	130740	426656
2012–13	426656	–	14274	440930	174740	266190
2013–14	266190	110000	10107	386297	124218	262079
2014–15	262079	120000	12490	394569	70840	323729

अन्तिम शेष का विवरण :–

(i)	दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	323729
(ii)	दिनांक 31.3.2015 को के0सी0सी0बी0 ऊना के बचत खाता संख्याः 20013013267 में जमा शेष राशि	324929
	अन्तर	**1200**

अन्तर का कारण :–

श्री मक्खन सिंह (ड्राईवर) को चैक संख्या 780942, दिनांक 27.3.2015 ₹1200 का जारी किया गया, लेकिन बैंक में दिनांक 31.3.2015 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

5 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

जाँच के दौरान पाया गया कि (आर0 आर0 निधि) से माह 11/2011 के दौरान भुगतान आदेश संख्याः 8 के अनुसार निम्न विवरणानुसार क्रम संख्याः 1 से 7 पर ₹13080 का भुगतान किया गया दर्शाया गया है।

क्रम संख्या	विवरण	राशि
1	श्रीमती कवीता रानी वेतन माह 10/11 वी0टी0सी0 तनोह, ₹120 प्रतिदिन की दर से भुगतान	3720
2	श्री कश्मीर सिंह (केन्द्र का किराया) वी0टी0सी0 तनोह	300
3	श्रीमती श्रेष्ठा देवी वेतन माह 10/11 वी0टी0सी0 दौलतपुर चौक	3720
4	श्री धर्म सिंह (केन्द्र का किराया) वी0टी0सी0 दौलतपुर चौक	300
5	श्रीमती सुनीता कुमारी वेतन माह 10/11 वी0टी0सी0 टिल्ला टक्का	3720
6	श्रीमती रीना कुमारी (केन्द्र का किराया) वी0टी0सी0 टिल्ला टक्का	300
7	मशीन की मुरम्मत बिल संख्याः 35, दिनांक 22.9.2011	1020
	कुल योग	**13080**

उपरोक्त व्यय के सन्दर्भ मे निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई, जिनका निराकरण किया जाए।

(क) व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र तनोह, दौलतपुर चौक व टिल्ला टक्का में प्रशिक्षुओं की संख्या क्रमशः 16 नम्बर, 15 नम्बर व 15 नम्बर है, जबकि व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के नियम 5 के अनुसार ''किसी भी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षुओं की संख्या कम से कम 16 होनी अनिवार्य है तथा प्रशिक्षुओं की संख्या 16 से कम होने की अवस्था में व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन नही किया जा सकता है।'' अतः उपरोक्त नियम को मध्यनजर रखते हुए व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र दौलतपुर व टिल्ला टक्का में प्रशिक्षुओं की संख्या न्यूनतम निर्धारित संख्या से कम होने के बावजूद भी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के नियम–4 पात्रता के अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में केवल भूतपूर्व सैनिकों/वर्तमान सैनिकों के परिवारों के महिला सदस्यों जिनकी आयु 16 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के भीतर की हो, को ही व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश व प्रशिक्षण दिया जा सकता है, परन्तु इन व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं की आयु 16 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के भीतर की थी तथा समस्त महिला सदस्य भूतपूर्व अथवा वर्तमान सैनिकों के परिवारों से ही सम्बन्धित थी, इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु

प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षुओं की संलग्न सूची में केवल अभ्यार्थियों का नाम तथा पिता/पति का नाम व सैनिक नम्बर ही उल्लेखित है जबकि नियमानुसार प्रशिक्षुओं का नाम, पता, आयु व भूतपूर्व सैनिकों/वर्तमान सैनिकों के परिवारों से सम्बन्धित होने के प्रमाणिक दस्तावेज़ अभिलेख में मौजूद होना अनिवार्य एवं आवश्यक है ताकि इस बात की पुष्टि सम्भव हो सके कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु वास्तव में भूतपूर्व/वर्तमान सैनिकों के परिवारों से ही सम्बन्ध रखते हैं व उनकी आयु प्रशिक्षण हेतु निर्धारित आयु के अनुबन्ध ही है। अतः इस प्रकार उपरोक्त उल्लेखित महत्वपूर्ण अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत न करने के कारण अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2011 से 31.3.2015 के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यार्थी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु बनाए गए नियमों को पूरा करते है अथवा नहीं। अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षित किए गए अभ्यार्थियों से सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचनाएं एवं अभिलेख एकत्रित करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं ताकि पुर्ननिवास और पुनः निर्माण निधि से व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालनन पर किए गए व्यय के सदुपयोग एवं व्यवहारिकता की सत्यापना सम्भव को सके।

(ग) अंकेक्षण अवधि 1.4.2011 से 31.3.2015 के दौरान विभिन्न व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षुओं से सम्बन्धित मूल आवेदन पत्र जैसे कि व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों के नियम पैरा–3 में उल्लेखित हैं, सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, जिन्हें आगामी अकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बिजली के बिल रजिस्टर तैयार न करना

जाँच के दौरान पाया गया कि माह 2/2012 के दौरान (आर0 आर0 निधि) से बिल संख्याः 894498, दिनांक 23.1.2012 के अन्तर्गत माह जनवरी/2012 के बिजली बिल के रूप में निम्नविवरणानुसार ₹4898 का भुगतान किया गया दर्शाया गया है।

पुरानी रीडिंग बिजली यूनिट	नई रीडिंग बिजली यूनिट	खपत की गई बिजली यूनिट	राशि
62378	63378	1000	4898

परन्तु संस्था द्वारा बिजली बिलों के रूप में भुगतान की गई राशि से सम्बन्धित बिजली के बिल रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जबकि उक्त रजिस्टर तैयार किया जाना अपेक्षित था। अतः बिजली बिल रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा तुरन्त प्रभाव से बिजली के बिल रजिस्टर नियमानुसार तैयार करने के उपरोक्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन न करना

संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान स्टोर व स्टॉक में शेष पड़े सामान का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के वितीय नियम, 2009 के नियम 140(2) के अनुसार यह सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार करवाया जाना अपेक्षित है। अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई त्वरित रूप से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व भविष्य में भी इस सन्दर्भ में कार्रवाई नियमों के प्रावधानानुसार की जानी सुनिश्चित की जाए।

8 स्थाई व अस्थाई सामान के अलग–अलग स्टॉक रजिस्टर तैयार न करना

संस्था द्वारा (आर0आर0 निधि) से खरीदे गए स्थाई व अस्थाई मदों (Consumable and Non Consumable Articles) हेतु अलग–अलग स्टॉक रजिस्टरें का रख–रखाव नहीं किया गया है। अतः तुरन्त प्रभाव से स्थाई व अस्थाई सामान हेतु अलग–अलग स्टॉक रजिस्टर तैयार किए जाऐं व प्रत्येक मद हेतु अलग–अलग पृष्ठ आबंटित करके तदानुसार ही प्राप्ति व खपत स्टॉक की प्रविष्टियां की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि एक निश्चित तिथि को संस्था के सामान की प्रत्येक मद की प्रमात्रा सुगमता से ज्ञात हो सके।

9 लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

10 निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–09

नोटः– उक्त प्रतिपेदन पत्र संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)33/76–खण्ड–6–1464–1467, दिनांक 27.02.2016 द्वारा जारी की गई है।